कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, (पशुपालन प्रभाग) अन्तर्गत पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत पशु–पक्षी आपूर्त्ति किए जाने से संबंधित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs के चयन सह सूचीबद्ध करने हेतु

इच्छा की अभिव्यक्ति संख्या:–......01.......

"इच्छा की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

राज्यादेश संख्या–09 रा० (वि०) दिनांक–08.06.2026 के अनुसार झारखण्ड के सभी जिलों में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत संचालित पशुपालन प्रक्षेत्र की योजनाओं बकरा विकास योजना, सूकर विकास योजना; भेंड पालन योजना, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट (लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन) योजना, ब्रायलर कुक्कुट पालन योजना, बत्तख चूजा वितरण योजना के अन्तर्गत बकरा–बकरी, सूकर–सूकरी, भेंड–भेंडी, लो इनपुट लेयर बर्ड, ब्रायलर एवं बत्तख चूजा चयनित एवं अनुसंशित लाभुकों को योजनान्तर्गत दिए गए राशि की अधिसीमा में उनके द्वार पर उपलब्ध कराये जाने के निमित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs को चयन–सह सूचिबद्ध किए जाने हेतु पशुपालन निदेशालय इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs से वर्णित पात्रता/मापदण्ड में आवेदन की मांग करता है:–

कार्यक्षेत्र	झारखण्ड राज्य के सभी जिलें।
लक्ष्य	राज्य में दूध, मांस, ऊन एवं अण्डा के उत्पादन में वृद्धि लाकर राज्य को आत्मनिर्भर बनाना एवं ग्रामीण क्षेत्र में पशु पालन के माध्यम से स्वरोजगार सृजन तथा अतिरिक्त घरेलू आमदनी का सृजन करते हुए ग्रामीण पशुपालकों की आय में वृद्धि करना।
आवेदन शुल्क	1000/– (एक हजार रूपये मात्र) का Non-Refundable बैंक ड्राफ्ट Director Animal Husbandry, Government of Jharkhand के नाम से एवं देय राँची। (बैंक ड्राफ्ट हाथों–हाथ कार्यालय में जमा कर दस्तावेज/आवेदन प्राप्त किया जाएगा)
इच्छा की अभिव्यक्ति दस्तावेज प्राप्त/जमा करने संबंधी विवरण	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथि : **10.09.2026** दस्तावेज प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : **29.09.2026** समय अपराहन् **05:00** बजे तक। जमा करने की अन्तिम तिथि : **30.09.2026** समय अपराहन् **05:00** बजे तक। प्राप्त इच्छा की अभिव्यक्ति प्रस्तावों को खोलने की तिथि: **01.10.2026** समय अपराहन् **12:30** बजे।
इच्छा की अभिव्यक्ति दस्तावेज/आवेदन जमा करने का पता	पशुपालन निदेशालय, पशुपालन भवन, हेसाग, हटिया, राँची–834003. इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा उपरोक्त पते पर अपना प्रस्ताव कार्यालय में हाथों–हाथ या डाक द्वारा एवं एक प्रति ई–मेल (ahdjharkhand@gmail.com) के माध्यम से जमा किया जा सकता है। www.jharkhand.gov.in से इच्छा की अभिव्यक्ति दस्तावेज/आवेदन डाउनलोड करने की स्थिति में इच्छा की अभिव्यक्ति समर्पित करते समय 1000 रू० का ड्राफ्ट (आवेदन शुल्क) संलग्न करना है।

8/9/26

निदेशक, पशुपालन

Scanned by Camera Scanner

0

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, (पशुपालन प्रभाग) अर्न्तगत पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत पशु–पक्षी आपूर्त्ति किए जाने से संबंधित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs के चयन सह सूचीबद्ध करने हेतु

इच्छा की अभिव्यक्ति संख्या :– 01

"इच्छा की अभिव्यक्ति"

राज्यादेश संख्या–09 रा० (वि०) दिनांक–08.06.2026 के अनुसार झारखण्ड के सभी जिलों में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत संचालित पशुपालन प्रक्षेत्र की योजनाओं बकरा विकास योजना, सूकर विकास योजना, भेंड पालन योजना, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट (लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन) योजना, ब्रायलर कुक्कुट पालन योजना, बत्तख चूजा वितरण योजना के अन्तर्गत बकरा–बकरी, सूकर–सूकरी, भेंड–भेंडी, लो इनपुट लेयर बर्ड, ब्रायलर एवं बत्तख चूजा चयनित एवं अनुसंशित लाभुकों को योजनान्तर्गत दिए गए राशि की अधिसीमा में उनके द्वार पर उपलब्ध कराये जाने के निमित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs को सूचिबद्ध किए जाने हेतु पशुपालन निदेशालय इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs से वर्णित पात्रता/मापदण्ड में आवेदन की मांग करता है:–

कार्यक्षेत्र :– झारखण्ड के सभी जिलें।

निदेशालय :– योजनान्तर्गत वर्णित लक्ष्य पशुपालन प्रभांग के द्वारा लक्ष्यों का कुल योग है।

योजना संबंधी विवरणी :–

1. **बकरा विकास योजना :–**

योजनान्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा आपूर्त्ति के क्रम में निम्न निदेश का पालन किया जाएगा।

(क) ब्लैक बंगाल नस्ल के स्वस्थ बकरी की उम्र कम से कम 8 मांह, 1–2 जोड़ा permanent teeth, कम–से–कम 10 किलो वजन तथा रंग काला मिश्रित होना चाहिए।

(ख) ब्लैक बंगाल नस्ल के स्वस्थ बकरा का उम्र कम–से–कम 1 वर्ष, 1–2 जोड़ा permanent teeth, कम–से–कम 12 किलो वजन, अंडकोष पूर्ण विकसित, नाक सीधा सपाट, कान छोटा एवं आगे की ओर मुड़ा हुआ तथा रंग काला मिश्रित होना चाहिए।

(ग) बकरा–बकरी को PPR एवं E.T टीकौषधि से टीकाकरण एवं Quarantine में रखने के उपरांत नियमानुसार स्वस्थ बकरा–बकरी ही लाभुकों को उपलब्ध कराया जाय।

(राशि रूपये में)

क्रमांक	योजना	इकाई	अनुमानित व्यय (प्रति इकाई)
1	बकरा विकास योजना (8 + 2)	ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी (02 नर + 08 मादा)	42,000/-
2		अनुमानित लक्ष्य	12516

2. **सूकर विकास योजना :–**

योजनान्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा आपूर्त्ति के क्रम में निम्न निदेश का पालन किया जाएगा।

(क) सूकरों की उम्र कम से कम 3 माह एवं न्यूनतम वजन 20 किलो होना चाहिए।

(ख) उन्नत नस्ल (T&D/Jharsuk) स्वस्थ के सूकर–सूकरी उपलब्ध कराया जाएगा।

Scanned by Camera Scanner

(ग) सूकर–सूकरी को Swine Fever टीकौषधि से टीकाकरण एवं Quarantine के बाद नियमानुसार लाभुकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(राशि रूपये में)

क्रमांक	योजना	इकाई	अनुमानित व्यय (प्रति इकाई)
1	सूकर विकास योजना (4 + 1)	उन्नत नस्ल के 5 सूकर (1 नर + 4 मादा)	34,000/-
2		अनुमानित लक्ष्य	3114

3. **भेंड पालन योजना :–**

योजनान्तर्गत आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा आपूर्ति के क्रम में निम्न निदेश का पालन किया जाएगा।

(क) छोटानागपुरी नस्ल की स्वस्थ भेंडी की उम्र कम से कम 8 माह, 1–2 जोड़ा permanent teeth, कम–से–कम 10 किलो वजन होना चाहिए।

(ख) साहावादी नस्ल का स्वस्थ भेंड का उम्र कम–से–कम 1 वर्ष, 1–2 जोड़ा permanent teeth, कम–से–कम 12 किलो वजन, अंडकोष पूर्ण विकसित, नाक सीधा सपाट, कान छोटा एवं आगे की ओर मुड़ा हुआ होना चाहिए।

(ग) भेंड–भेंडी को PPR एवं E.T टीकौषधि से टीकाकरण लिवरफ्लूक दवा से चिकित्सित एवं Quarantine में रखने के उपरांत नियमानुसार स्वस्थ भेंड–भेंडी ही लाभुकों को उपलब्ध कराया जाय।

(राशि रूपये में)

क्रमांक	योजना	इकाई	अनुमानित व्यय (प्रति इकाई)
1	भेंड पालन योजना	छोटानागपुरी नस्ल की भेंडी तथा साहावादी नस्ल का भेंड (02 नर + 08 मादा)	42,000/-
2		अनुमानित लक्ष्य	2257

4. **बैक्यार्ड लेयर कुक्कुट (लो इनपुंट लेयर कुक्कुट पालन) की योजना :–**

420 कुक्कुट प्रति इकाई की योजनान्तर्गत आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा आपूर्ति के क्रम में निम्न निदेश का पालन किया जाएगा।

- इस योजना के अन्तर्गत आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा वैसे लो इन्पुट लेयर कुक्कुट के नस्ल की आपूर्त्ति की जानी है जिसकी उत्पादन क्षमता प्रति कुक्कुट 200 या उससे अधिक अण्डा देने की हो जिसका पालन सुगमता से किया जा सके।
- आपूर्ति किए जाने वाले सभी Chicks टीकाकृत होना अनिवार्य है।
- आपूर्ति की जाने वाली चूजों में मादा चूजों का प्रतिशत 80 से कम नहीं हो।

Scanned by Camera Scanner

(राशि रूपये में)

क्रमांक	योजना	इकाई	अनुमानित व्यय (प्रति इकाई)
1	बैक्यार्ड लेयर कुक्कुट (लो इनपुट लेयर कुक्कुट पालन) की योजना	420 चूजा (5 प्रतिशत Mortality को ध्यान में रखते हुए)	14700/-
2		अनुमानित लक्ष्य	2984

5. **ब्रायलर कुक्कुट पालन (500 broiler rearing unit) योजना** :– 500 चूजा कुक्कुट प्रति इकाई की योजनान्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा आपूर्त्ति के क्रम में निम्न निदेश का पालन किया जाएगा।

- इस योजना के अन्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा वैसे ब्रायलर कुक्कुट के नस्ल की आपूर्त्ति की जानी है जिसकी बढ़वार क्षमता प्रति कुक्कुट (1.5 किलोग्राम–40 दिन की उम्र) अच्छी हो।
- आपूर्ति किए जाने वाले सभी Chicks टीकाकृत होना अनिवार्य है।

(राशि रूपये में)

क्रमांक	योजना	इकाई	अनुमानित व्यय (प्रति इकाई)
1	ब्रायलर कुक्कुट पालनं (500 broiler rearing unit) योजना	ब्रायलर चूजा 525 (5 प्रतिशत Mortality को ध्यान में रखते हुए)	15,750/-
2		अनुमानित लक्ष्य	5407

6. **बत्तख चूजा वितरण की योजना (अण्डा उत्पादन हेतु)** :–
30 बत्तख चुजा प्रति इकाईं की योजनान्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा आपूर्त्ति के क्रम में निम्न निदेश का पालन किया जाएगा।

- इस योजना के अन्तर्गत आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा वैसे बत्तख चुजा के नस्ल की आपूर्त्ति की जानी है जिसकी अण्डा उत्पादन एवं माँस उत्पादन क्षमता दोनों उत्तम हो।

(राशि रूपये में)

क्रमांक	योजना	इकाई	अनुमानित व्यय (प्रति इकाई)
1	बत्तख चूजा वितरण की योजना	15 (पन्द्रह) दिनों का 30 (तीस) लो इनपुटस बत्तख चूजा	3060/-
2		अनुमानित लक्ष्य	21482 इकाई

Scanned by Camera Scanner

पात्रता मापदंड –

I. न्यूनतम 21 वर्ष की आयु हो। साक्षर एवं पढ़ने लिखने में सक्षम हो। (साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न)

II. एजेंसी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्तिकर्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs के द्वारा PAN Card एवं GST (जहाँ लागू हो) में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

III. एजेंसी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्तिकर्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs का न्यूनतम Turnover 10 लाख रूपये प्रति आवेदित जिलावार C.A. Report के साथ अनिवार्य होना चाहिए।

IV. एजेंसी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्तिकर्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs का विगत तीन वर्षों का बैंक A/c Statement, Audited Balance sheet तथा ITR उपलब्ध कराना होगा।

V. झारखण्ड राज्य में न्यूनतम 25 डिसमिल भू-स्थल/भू-खण्ड खुद के नाम पर (साक्ष्य सहित) या भू-स्थल/भू-खण्ड का न्यूनतम 10 वर्षों का लीज़ एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा। योजनावार (बकरा-बकरी, सूकर-सूकरी, भेंड़-भेंडी, लो इनपुट लेयर बर्ड, ब्रायलर एवं बत्तख चूजा) फार्म से संबंधित दस्तावेज/साक्ष्य (लीज़ पेपर, एकरारनामा आदि) उपलब्ध कराना होगा।

VI. फार्म में पशु-पक्षी के साथ आपूर्त्तिकर्त्ता का Geo Tagging Photograph (योजनावार पशु पक्षी के लिए कम से कम चार-चार Geo Tagging Photograph) होना आवश्यक है। जाली/Fake Photograph देने पर कार्रवाई हो सकती है।

VII. एजेंसी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्तिकर्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs को कम से कम तीन वर्षों का व्यवसायिक अनुभव एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

VIII. सरकारी/अर्ध सरकारी संस्था को आपूर्ति करने का अनुभव रखने वाले एजेंसी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्तिकर्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs को प्राथमिकता दी जाएगी। योजनान्तर्गत सफल आपूर्तिकर्ता संबंधी कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र एवं योजना संबंधी क्रय-विक्रय विपत्र (Invoice) उपलब्ध कराना होगा। कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र का प्रति संलग्न करना होगा।

IX. कुक्कुट पालन (लेयर एवं ब्रायलर)/बत्तख पालन हेतु खुद का हेचरी अथवा पॉल्ट्री हेचरी के साथ एकरारनामा नवीनतम GST अभिश्रव संबंधित दस्तावेज होना अनिवार्य है।

X. आवेदक को उसके जिला में पशु-पक्षी आपूर्त्ति हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

नोटरीकृत शपथ पत्र :–

a) आपूर्तिकर्ता को इस आशय का नोटरी पब्लिक के द्वारा Affidavit कराकर देना होगा कि संस्था एवं उनके सदस्यों के विरूद्ध न्यायालय में अपराधिक मामला दर्ज नहीं है एवं विगत 03 वर्षों से एजेंसी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्तिकर्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs को पशुपालन विभाग सहित किसी अन्य विभाग के द्वारा काली सूची में नहीं डाली गयी है।

b) आपूर्तिकर्ता को वर्णित अधिसीमा के अन्दर ही परिसम्पत्ति वितरण करने हेतु For Destination (लाभुकों के घर तक) संबंधित नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

c) आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा वर्णित कार्य किसी अन्य एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था को सबलेट (अपने आलावा दूसरे को) नहीं किया जाएगा। इस आशय का नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Scanned by Camera Scanner

d) आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा किए गए कार्य संतोषप्रद एवं गुणवत्तायुक्त नहीं होने की स्थिति में उनके चयन को रद्द करते हुए काली सूची में डालने हेतु कार्रवाई की जाएगी एवं अगले तीन वर्षों तक पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड द्वारा उन्हें सूचीबद्ध नहीं करने संबंधी कार्रवाई की जाएगी। इस आशय का नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

e) उक्त पशु–पक्षी वितरण से पूर्व अनिवार्य टीकाकरण एवं संगरोध (Quarantine) अवधि 15 दिन रखने आदि कार्यो में होने वाले व्यय के वहन की जिम्मेवारी संबंधित आपूर्त्तिकर्त्ता की होगी। इस आशय का नोटरीकृत शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

f) पशु–पक्षी के कोरंटाइन किए जाने हेतु स्थल/भूखण्ड की उपलब्धता से संबंधित नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

g) सभी आवेदक स्वस्थ, रोग मूक्त योजना अनुरूप पशु–पक्षी की आपूर्ति करने संबंधी घोषणा–पत्र प्रस्तुत करेंगे।

h) आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा पशुओं की आपूर्त्ति के समय पशुचिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (जिसमें उम्र दर्ज हो), टीकाकरण, संगरोध (Quarantine) संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इस संदर्भ में नोटरीकृत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

<u>नियम एवं शर्त्तेः–</u>

1) इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs को इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव/आवेदन संलग्न विहित प्रपत्र में मुहरबंद लिफाफे में देना होगा जिस पर इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs का नाम, पता, मोबाईल नं० सभी स्पष्ट लिखा होना चाहिए।

2) उक्त बकरा–बकरी/सूकर–सूकरी/भेंड–भेंडी/लो इनपुट लेयर/ब्रायलर बर्ड/बत्तख़ चूजा पालन के दौरान सभी अनिवार्य टीकाकरण आदि कार्यों में होने वाले व्यय की वहन की जिम्मेवारी चयनित ऐजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs की होगी।

3) पशुओं को 15 दिवस का संगरोध (Quarantine) हेतु अलग से स्थान (Safe Zone) होना चाहिए। संगरोध (Quarantine) उपरान्त ही पशुओं की आपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में संबंधित जिला के पशुपालन पदाधिकारी द्वारा Inspection प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा।

4) आपूर्तिकर्त्ता द्वारा 15 दिनों के निश्चित संगरोध (Quarantine) के उपरान्त पशु–पक्षी के अनुसार आवश्यक टीकाकरण (यथा–SF, PPR, FMD, Enterotoxaemia etc.) कराने के बाद ही लाभुकों को आपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में आपूर्ति के समय जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पशुचिकित्सक द्वारा जारी संगरोध (Quarantine) टीकाकरण एवं स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र की एक प्रति लाभुक को हस्तगत कराई जाएगी।

5) सूकर फार्म में Farrowing Pen (प्रसव कमरा) Piglet के लिए Creep Box, Guard Rail (Piglet के बचाव हेतु) एवं Wallowing tank (सूकर–सूकरी के नहाने के लिए) होना अनिवार्य है।

6) पशु–पक्षी आपूर्त्ति के दौरान अथवा पूर्व किसी भी कारण से पशु–पक्षियों में असमायिक मृत्यु होने पर उसकी पूर्ण जवाबदेही आपूर्त्तिकर्त्ता की होगी तथा उन सभी पशु–पक्षी का प्रतिस्थापन आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

7) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी/प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी/पशुचिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा Breed, Age, स्वास्थ्य, वजन आदि निरीक्षण/जांच के आधार पर पशुओं को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

Scanned by Camera Scanner

8) आपूर्त्तिकर्त्ता के द्वारा योजनान्तर्गत चयनित लाभुकों के घर की दीवार पर योजना का ब्यौरा लाभुक का नाम/पता का लेखन भी निम्न वर्णित राशि (सभी अन्य व्यय से) का अधिसीमा के अन्तर्गत किया जाना है।

9) पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा किसी भी तरह के जाँच (फार्म या वितरण संबंधी) के क्रम में त्रुटि पाए जाने पर अगले तीन वर्षों के लिए सूचीवद्ध आपूर्त्तिकर्त्ता को काली सूची डाल दिया जाएगा।

10) चयनित एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता को गुणवत्तायुक्त कार्य सम्पादन करने के निमित पशुपालन निदेशालय के साथ 100/– रू० के Stamp Paper पर पशु पक्षी आपूर्त्ति से संबंधित एकरारनामा करना होगा।

11) चयनित आपूर्त्तिकर्त्ता प्रत्येक माह में किए गए कार्यों का भौतिक उपलब्धि प्रतिवेदन चयनित इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं एक प्रति निदेशालय में ई–मेल (ahdjharkhand@gmail.com) द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

12) उक्त इच्छा की अभिव्यक्ति को जिला आवंटन/कम करना, किसी भी समय बिना कारण बताए हुए निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची को रद्द करने का अधिकार होगा।

13) इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद राँची स्थित माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

14) जिन अभिलेखों/दस्तावेजों की मांग की गई है, उन अभिलेखों/दस्तावेजों को स्पाइरल बाईडिंग एवं पृष्ठाकंन (पेजिंग) Indexing किया हुआ होना चाहिए अन्यथा यह स्वीकार नहीं होगा।

15) "इच्छा की अभिव्यक्ति" की सभी दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफा में भरकर निदेशक, पशुपालन, पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड, राँची को संबोधित प्रस्ताव डाक/हाथों–हाथ प्राप्त किया जायेगा।

16) एक आपूर्तिकर्ता को अधिकतम 4 जिला आवंटित किया जाएगा तथा सभी आपूर्तिकर्ता को बत्तख चूजा योजना लेना अनिवार्य है।

17) जिला के आवंटन की संख्या आवश्यकता के आधार पर निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची के द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

लिफाफे के ऊपर एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता का नाम, पता, **'इच्छा की अभिव्यक्ति'** का फार्म नंबर एवं जमा करने की तिथि अवश्य दर्ज होनी चाहिए।

"इच्छा की अभिव्यक्ति" को निम्न पते पर भेजें

निदेशक, पशुपालन, पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड, पशुपालन भवन, हेसांग, हटिया, राँची
पिन कोड–834003

इच्छुक एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा उपरोक्त पता पर कार्यालय में हाथों–हाथ एवं डाक द्वारा तथा एक प्रति ई–मेल (ahdjharkhand@gmail.com) के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

• प्रकाशित इच्छा की अभिव्यक्ति को विभागीय वेवसाईट https://animalhusbandry.jharkhand.gov.in/ अथवा https://www.jharkhand.gov.in/agriculture पर भी देखा जा सकता है।

8/9/26

निदेशक, पशुपालन

Scanned by Camera Scanner

झारखण्ड राज्य में राज्य योजनान्तर्गत संचालित मुख्य मंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत पशु–पक्षी की आपूर्त्ति के लिए एजेन्सी/गैर सरकारी संस्था/आपूर्त्तिकर्त्ता/पशुपालन क्षेत्र में कार्यरत FPOs के चयन एवं सूचीबद्ध हेतु ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' का आवेदन पत्र :–

नवीन स्व–अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकांए

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन,
झारखण्ड, राँची।

महाशय,

मैं निम्नवत् स्वयं का पूर्ण विवरण देते हुए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (पशुपालन प्रभाग) झारखण्ड, अर्न्तगत पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड द्वारा राज्य योजनान्तर्गत संचालित मुख्य मंत्री पशुधन विकास योजनान्तर्गत पशु–पक्षी की वितरण किए जाने से संबंधित चयनित लाभुकों के बीच पशु–पक्षी की आपूर्ति राज्य के जिलों में करने हेतु सूचीवद्ध होने के लिए इच्छुक हूँ। अनुरोध है कि मुझे सूचीवद्ध करने की कृपा की जाय।

सूचीवद्धता हेतु अनिवार्य दस्तावेज/विवरणी निम्नवत् हैं :–

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी व अंग्रेजी में) :–
(पहचान हेतु आधार/वोटर कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)
2. पिता का नाम (हिन्दी व अंग्रेजी में) :–
3. उम्र :–
(साक्ष्य के साथ)
4. आवेदक का स्थाई पता
ग्राम :– पोस्ट :– थाना:–
जिला :– राज्य :– पिन :–
5. आवेदक का वर्त्तमान पता
ग्राम :– पोस्ट :– थाना :–
जिला :– राज्य :– पिन :–
6. दूरभाष सं०/मोबाईल नं० (वाट्सएप मोबाईल नं०) :–
7. I. निवासी
II. जिला का नाम जिसके लिए संस्था/एजेन्सी :–
सूचीबद्ध होना चाहते हैं (एक से अधिक–अधिकतम 3 जिलें)
8. योजना का नाम जिसके लिए संस्था/एजेन्सी :–
सूचीबद्ध होना चाहते हैं (एक या एक से अधिक– अधिकतम 4, बत्तख आवश्यक)
9. शैक्षणिक योग्यता :–
10. आयकर विभाग द्वारा निर्गत PAN (पैन) No :–
(छायाप्रति संलग्न करें)
11. GST–खाद्यान्न+केज+अन्य सामग्री।
12. दस्तावेज/आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु निबंधन शुल्क के रूप में देय ..../– (....... रूपये) का विवरण :–
   - बैंक का नाम :–
   - बैंक डी०डी० का नं०/दिनांक :–
   - बैंक डी०डी० की राशि :–

आवेदक का हस्ताक्षर

Scanned by Camera Scanner

Check List

क्र०सं०	विवरणी	पृष्ठ संख्या
1	आवेदनकर्त्ता का नाम एवं पूर्ण पता (पहचान हेतु आधार/वोटर कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति)	
2	जिला का नाम जिसके लिए संस्था/एजेन्सी सूचीबद्ध होना चाहते हैं (अधिकतम 3)	
3	योजना का नाम जिसके लिए संस्था/एजेन्सी :– सूचीबद्ध होना चाहते हैं (अधिकतम 4, बत्तख योजना अनिवार्य सभी के लिए)	
4	पढ़ने लिखने में सक्षम संबंधित साक्ष्य (प्रमाण–पत्र)	
5	PAN Card संबंधित साक्ष्य	
6	GST में पंजीकृत संबंधित साक्ष्य	
7	झारखण्ड राज्य में फार्म सम्बंधित साक्ष्य	
8	Geo tagging Photographs फार्म संबंधित 4 फोटो जिला पशुपालन से सत्यापित	
9	पशु–पक्षी वितरण से संबंधित कार्य अनुभव/क्रय–विक्रय विपत्र/अभिश्रव (Invoice) का व्यौरा (तीन वर्षो का सरकारी/अर्ध सरकारी संस्था में योजनान्तर्गत वितरण) /कार्यादेश।	
10	पशु–पक्षी के कोरंटाइन किए जाने हेतु स्थल/भूखण्ड की उपलब्धता से संबंधित नोटरीकृत शपथ पत्र	
11	सभी आवेदक स्वस्थ, रोग मुक्त योजना अनुरूप पशुओं की आपूर्ति करने संबंधी घोषणा–पत्र	
12	आपूर्तिकर्त्ता द्वारा पशुओं की आपूर्ति के समय पशुचिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (जिसमें उम्र दर्ज हो), टीकाकरण, संगरोध (Quarantine) संबंधित नोटरीकृत शपथ–पत्र	
13	आयकर रिटर्न न्यूनतम तीन वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25)	
14	विगत तीन वर्षो का Balance sheet and Bank Account Statement	
15	वार्षिक टर्नओवर C.A. Report per district	
16	कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक Quarantine-Vaccination & Insurance संबंधित नोटरी शपथ पत्र	

Scanned by Camera Scanner

क्र०सं०	विवरणी	पृष्ठ संख्या
17	एजेन्सी/संस्था/आपूर्तिकर्ता एवं उनके सदस्यों के विरूद्ध कोई अपराधिक मामला/नाम काली सूची में दर्ज नहीं है संबंधित नोटरीकृत शपथ पत्र।	
18	आपूर्तिकर्त्ता को पशु–पक्षी के वितरण हेतु लाभुकों को उनके घर तक उपलब्ध कराने संबंधी For Destination नोटरीकृत शपथ पत्र।	
19	आपूत्तिकर्त्ता द्वारा वितरण संबंधी कार्य अन्य आपूर्त्तिकर्त्ता को सबलेट नहीं करने संबंधी नोटरीकृत शपथ पत्र।	
20	कार्य संतोषप्रद एवं गुणवतायुक्त नहीं होने की स्थिति में उनके चयन को रद्द करने नाम काली सूची में डालने एवं अगले तीन वर्षों तक पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड द्वारा उन्हें सूचीबद्ध नहीं करने संबंधी नोटरीकृत शपथ पत्र।	
21	बैंक डी० डी० का प्रमाण--पत्र।	
22	वितरण पूर्व सभी व्यय का वहन शपथ पत्र।	

आवेदक का हस्ताक्षर

Scanned by Camera Scanner